



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15035

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी – 647 वर्ष 2026

अभय कुमार ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुंवर राजन, रणधीर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को वापस ले लिए जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को वापस ले लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसी कारण से नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"